



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1200]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 2009/श्रावण 12, 1931

No. 1200]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 2009/SRAVANA 12, 1931

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2009

का.आ. 1874(अ).—केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 14 के साथ पठित धारा 29 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित फसलों की उनके वंश के साथ उक्त अधिनियम के अधीन किस्मों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिसूचित करती है :—

क्र. सं.	साधारण नाम	हिन्दी/स्थानीय नाम	वनस्पतिक नाम
1	2	3	4
1.	सुगरकेन	गन्ना	सैकैरम एल
2.	जिंजर	अदरक	जिंजिबर आफिसिनेल रोसा
3.	टरमैरिक	हल्दी	कुरूमा लोंगा एल

[फा. सं. 1-2/2003-एसडी-V]

उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2009

S.O. 1874(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 29 read with Section 14 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby notifies the following crops with their genera eligible for registration of varieties under the said Act :—

Sl. No.	Common Name	Hindi/Local Name	Botanical Name
1	2	3	4
1.	Sugarcane	Ganna	Saccharum L.
2.	Ginger	Adrak	Zingiber Officinale Rosc.
3.	Turmeric	Haldi	Curumma Longa L.

[F. No. 1-2/2003-SD-V]

UPMA CHAUDHRY, Jt. Secy.